न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(श्याम लाल गुर्जर,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 01/2015

दायर दिनांकः 24.02.2015

निर्णय दिनांक 16.08.2018

—:अनवानः—

मोहनसिंह पिता अमरसिंह जी राजपुत आयु 61 वर्ष निवासी डुमला मोखाड़ा, तहसील खमनोर जिला राजसमंद

अपीलांट

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,खमनोर

रेस्पोण्डेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार ,खमनोर प्रकरण संख्या 399/2014 सरकार बनाम मोहनसिंह निर्णय दिनांकः 27.10.2014 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1— श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाशचन्द्र बौल्या,राजकीय अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट

अपीलांट ने तहसीलदार,खमनोर के आदेश दिनांकः 27.10.2014 से व्यथित होकर इस न्यायालय में यह प्रथम राजस्व अपील दिनांकः 18.02.2015 को पेश की गयी हैं,जिसके साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के विरुद्ध तहसीलदार,खमनोर के समक्ष यह रिपोर्ट की गयी कि इनके द्वारा ग्राम मोखाड़ा स्थित आ0नं0 1581 रकबा 07.10 बीघा किस्म रास्ता भूमि में से 02 बिश्वा भूमि पर अनाधिकृत रुप से अवैध कब्जा कर रखा हैं। अतः इसके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही कराना फरमावें। तहसीलदार,नाथद्वारा के द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रावली दर्ज कर अपीलांट/अतिकमी के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर दिनांकः 27.10.2014 को अपीलांट को अतिकमी घोषित कर बैदखली एवं शास्ति रूपया 50/— आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया। जबकि उक्त भूमि पर अपीलार्थी का वर्षो पुराना कब्जा होकर पट्टियों का स्टॉक एवं एक कमरा बना हुआ तथा आसपास में इसी आराजी में मकान एक ही सरवेले में बने हुए तथा मौके पर रास्ता

पर्याप्त छुटा हुआ हैं। अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य होते हुए किस्म रास्ता होने के आधार पर बैदखली के आदेश पारित किये गये हैं जो विधि के विपरित हैं।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन् सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का तलब की गयी। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी हैं।

अपीलांट के द्वारा अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब की माफी हेतु दफा 5 मयाद अधिनियम का प्रा0पत्र भी अपील के साथ पेश किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सुलभ न्याय के सिद्धान्त के अनुसरण में गुणावगुण पर अपील का विनिश्चय किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं इसलिये विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद में शुमार किया जाता हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि उक्त भूमि पर अपीलार्थी का वर्षो पुराना कब्जा होकर पट्टियों का स्टॉक एवं एक कमरा बना हुआ तथा आसपास में इसी आराज़ी में मकान एक ही सरवेले में बने हुए तथा मौके पर रास्ता पर्याप्त छुटा हुआ हैं। अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य होते हुए किस्म रास्ता होने के आधार पर बैदखली के आदेश पारित किये गये हैं जो विधि के विपरित हैं। साथ ही यह भी निवेदन किया कि मौके पर रास्ता की भूमि पर 20 फीट चौड़ी सड़क बनी हुई हैं तथा सड़क के दोनों तरफ 10–10 फीट जमीन छूटी हुई हैं तथा अपीलार्थी व अन्य लोगों के मकान एक ही सरवेले में बने हुए हैं तथा आवागमन में कोई बाधा नहीं हैं। ग्राम पंचायत ने भी उक्त भूमि को आबादी में लेने का प्रस्ताव पारित किया हुआ हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को शहादत,सबूत पेश करने का भी कोई मौका नहीं दिया गया हैं। इसलिये अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण की गयी भूमि की तहसीलदार,खमनोर की पत्रावली के अवलोकन से किस्म रास्ता भूमि हैं। अपीलांट के द्वारा रास्ता भूमि पर अवैध रुप से कब्जा कर रखा हैं जिसके संबंध में तहसीलदार,खमनोर के द्वारा बैदखली एवं शास्ति आरोपित किये जाने हेतु पारित किया गया आदेश उनके क्षेत्राधिकार में होकर उचित आदेश पारित किया हैं। रास्ता भूमि को आवंटन एवं नियमन के संबंध में भी प्रतिबंधित कर रखा हैं। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट के द्वारा तहसीलदार,खमनोर के पारित आदेश दिनांकः 27.10.2014 को इस आधार पर चुनोति दी गयी कि अपीलार्थी का उक्त

रास्ता भूमि पर नाजायज कब्जा हैं जो भूमि आवंटन और नियमन योग्य नहीं हैं। कब्जे के आधार पर उक्त रास्ता भूमि को नियमन नहीं किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत पाया जाता है। अतः मैं उक्त अपील आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा तहसीलदार,खमनोर द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 27.10.2014 को यथावत रखा जाता हैं।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद